

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> <p>निगरानी/टी.ए./6051/2004/टॉक</p> <p>वसीउल्ला बेग व अन्य बनाम भैरू लाल व अन्य</p>	
<p>27/01/2021</p>	<p>एकल पीठ</p> <p>श्री सतीश चन्द्र गोदारा सदस्य</p> <p>उपस्थित</p> <p>श्री अजीत सिंह अभिभाषक प्रार्थी</p> <p>श्री वी.पी. सिंह अभिभाषक अप्रार्थी</p> <p>निर्णय</p> <p>यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला टॉक के आदेश 6-10-2004 के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>पक्षकारों के मध्य नियमित वाद विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। दौराने वाद प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 845 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा का विक्रय पत्र जो कि प्रतिवादी अपने हक में होना बताता है उसे न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। बाद सुनवाई विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को आक्षेपित आदेश के द्वारा खारिज किया है।</p> <p>उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।</p> <p>प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने अपने जवाबदावे के विशेष आपत्तियों स्वयं ने अभिकथन किया था कि वादग्रस्त भूमि उसके द्वारा तत्कालीन खातेदार श्री वसीउल्ला की बहन से 95/- रुपये में 1963 में अपंजीकृत दस्तावेज के तहत क्रय की थी ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के समक्ष नियमित राजस्व वाद में उक्त दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक था क्योंकि जिस दस्तावेज के आधार पर अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया वह मूल दस्तावेज ही रिकार्ड पर नहीं हो तो उसका कोई लाभ अप्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय को मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु अप्रार्थी को पाबंद किया जाना चाहिए था। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./6051/2004/देंक वसीउल्ला बेग व अन्य बनाम भैरू लाल व अन्य	
	<p>मूल दस्तावेज न्यायालय के समक्ष रिकार्ड पर प्रस्तुत करने का आदेश प्रदान किया जावे। अपने कथन के समर्थन में ए आई आर 2007 एस सी पेज 2025 की नजीर पेश की।</p> <p>जबाब में अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि उनके द्वारा 95/-रुपये में खातेदार से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था जिसका नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 2 जो उस समय ग्राम पंचायत नानेर का सरपंच था, स्वयं ने प्रतिवादी के पक्ष में तस्दीक किया है। उनका तर्क है कि मूल विक्रय पत्र काफी तलाश करने के बाद भी उनको नहीं मिला है। इसलिये पेश नहीं किया जा सका।</p> <p>हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।</p> <p>विचारण न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि मूल विक्रय पत्र काफी पुराना है जिसे काफी तलाश करने के बाद भी नहीं मिल रहा है जो प्रतिवादी के कब्जे में नहीं होने से पेश नहीं किया जा सकता है। हस्तगत वाद वादी द्वारा प्रतिवादी अजीजुमानी बेगम द्वारा जमीन हस्तान्तरित नहीं करने का मुख्य आधार लेकर प्रस्तुत किया है जिसे साबित करने का भार स्वयं प्रार्थी वादी पर है उसे इस तथ्य को सक्षम साक्ष्य से स्वयं को साबित कराना है, प्रतिवादी द्वारा जो प्रतिवाद अपने जबाब दावे में लिये हैं उसके बाबत दस्तावेज पेश करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। जबाब दावा में उठाये गये तथ्यों को साबित करने का भार भी प्रतिवादी पर ही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पूर्ण रूप से चस्पा नहीं होता है।</p> <p>अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(सतीश चन्द्र गोदारा) सदस्य</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./6051/2004/द्वेक वसीउल्ला बेग व अन्य बनाम भैरू लाल व अन्य	